

**LEAVE OF ABSENCE TO SHRI
ANAND CHAND**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the following letter dated the 28th July, 1962, has been received from Shri Anand Chand from Switzerland:—

“As I am in Europe owing to reasons of health I shall not be able to be present at the opening of the Rajya Sabha Session scheduled to begin in August, 1962. I accordingly request you to kindly grant me leave of absence from the same.”

It is the pleasure of the House that permission be granted to Shri Anand Chand for remaining absent from all meetings of the House during the current session?

No. hon. Member dissented.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

**ALLOTMENT OF TIME FOR
MOTION RE FOURTH ANNUAL
REPORT OF THE LIFE INSURANCE
CORPORATION OF INDIA**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that under rule 153 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, the Chairman has allotted two hours for the consideration of the motion regarding the Fourth Annual Report of the Life Insurance Corporation of India for the year ended the 31st December, 1960.

The time given for the motion is
3 P.M.

**THE NATIONAL CO-OPERATIVE
DEVELOPMENT CORPORATION
BILL, 1962—continued.**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Desai, how much more time would you take? There is no time limit, but there are many speakers. So please be brief.

SHRI D. B. DESAI (Maharashtra): Madam, at the last sitting I was trying to make out a case against the contemplated bifurcation of the Agricultural Produce Development and Warehousing Corporation. I had intended to refer to one of the passages from the Rural Credit Survey Committee Report. This is what it says on page 346:—

“It will be recalled that we are proceeding on the assumption, which seems very valid, that as regards planned co-ordination and financial provision at the all-India level, the broad division of functions is that the Reserve Bank should look after the credit programme and the Government of India after the other parts of the economic programme, the main responsibility in either case resting with the State Governments. It follows from this that in conjunction with the State Governments, the Ministry of Food and Agriculture should be associated with the development of co-operative processing and co-operative marketing on a nation-wide scale. In other words, the Ministry would have to be institutionally linked with this part of the programme no less than with the one concerned with the development of storage, warehousing and distribution. For the latter, we have mentioned a national board as providing the link. We envisage the board as equally serving the purpose of an all-India planning, financing and co-ordinating body in the context of the development, by State Governments, of co-operative marketing, co-operative processing and other co-operative economic activity. An appropriate designation for this body would therefore be the National Co-operative Development and Warehousing Board.”

I refer to this passage, Madam, to show that the Board was to deal with credit and other allied activities in the rural sector, in agricultural production, that is, processing, transport, marketing and warehousing too.

[Shri D. B. Desai.]

Now I want to place before this House one additional piece of evidence which is from the Report of the Estimates Committee, 1960-61. I would like to refer to the Report of the Estimates Committee regarding the National Co-operative Development and Warehousing Board; this is what they say on page 5:—

“The Committee are not sure if the separation of the functions of warehousing from the National Co-operative Development and Warehousing Board would achieve that degree of integrated approach and planning as is necessary for the successful implementation of the objectives and if the same measure of co-ordination as exists at present will obtain between the Co-operative Development Board and the Central Warehousing Corporation merely by giving representation, as proposed, to each body on the other.

If, however, the functions relating to warehousing are to be taken away from the Board it may be a moot point whether there should be a separate Co-operative Development Board and whether the same work could not be done by the Ministry itself. The Committee feel that even if for the sake of some administrative advantage the integrated set-up is to be disturbed, there may not be sufficient justification for the continued existence of a separate Board merely for disbursing funds to the State Governments since it is done on the basis of programmes and policies already approved by Government and for which financial ceilings are fixed by the Planning Commission. In their view, the extent of co-ordination with the Central Warehousing Corporation that will be achieved in the changed set-up by representing each of the bodies on the other, can be obtained in the absence of the Board equally at the official level or by means of an advisory committee

composed of officials and non-officials representing banking and other connected interests and other persons experienced in the co-operative field.”

The Committee have given an Appendix, Appendix VI, in which they have specifically mentioned “analysis of the more important recommendations”, and the more important recommendation recorded here the Board. So, I would plead Madam, that the Deputy Minister of Co-operation has not made out any case whatsoever to bifurcate the Board. On the contrary it will be seen from my argument that the Board was contemplated for all co-operative activities, and even the warehousing activity. It is supposed in some section as only a commercial activity, but the Planning Commission and the Rural Credit Survey Committee have both emphasized that warehousing operations at the village level should be on a co-operative basis. That means that storage, warehousing and marketing functions in the rural activities cannot be bifurcated from the Co-operative activity. But here the Co-operative Department itself is rather hurray up to bifurcate this sort of activity. I want to know whether the Minister has consulted the Board itself because he has praised the Board like anything. The Board has done so many good functions. So I want to know whether the Board has been consulted in regard to this bifurcation. I think the Board has not been consulted. Perhaps the Minister may say that actually all policy decisions regarding the activities of the Board are to be taken by the Government of India or the Ministry concerned. But I may ask one question: what then is the function of the Board itself? The original Act and also the proposed legislation in clause 9 have mentioned:

“Subject to the provisions of this Act, the functions of the Corpora-

tion shall be to plan and promote programmes for the production, processing, marketing, storage, export and import of agricultural produce and notified commodities through co-operative societies."

If the Board is not consulted on the policies to be followed or the problems to be tackled by the Ministry itself, then what is the use of the Board? I may quote here:

"During the last five years, the experience shows that the Board has not been consulted. On the contrary, the Board has been bypassed in a number of cases."

I also quote one instance. When co-operative farming was introduced as a pilot project, the Co-operative Development Board was never consulted. On the contrary, the Ministry decided that a separate Co-operative Farming Board might be set up. I may refer here to one of the letters of the Ministry which was laid on the Table of this House—vide page 81 of Appendix XXXII to the Official Report of the Rajya Sabha—and it is said:—

"A separate agency may be established at the Centre for promotion of co-operative farming. This may be in the shape of a new Board or as a sub-committee of the National Co-operative Development and Warehousing Board."

Actually, we do not know whether it is going to be a sub-committee of the National Co-operative Development and Warehousing Board or whether it is going to be a separate Board.

Again, I may say that this Board is meant to finance the State Governments for participation in the share-capital of the societies on a long-term basis. But actually there are two agencies which advance long-term loans. One agency is the Reserve Bank and the other is the Co-operative Board. I want to know whether even after the Rural Credit

Survey Committee's Report—the Government have accepted that Report—these two agencies are implementing this. The duplication of agencies is a sort of hindrance in co-operative activities, as I tried to emphasise at the last sitting. In regard to co-operative farming, the States are directed to borrow from the Reserve Bank—that is a long-term operation fund—and they are directed to participate in the share-capital of the farmers' societies. Here, the Co-operative Board itself has advanced some loans to the State Governments for participation in the share-capital of something like three thousand societies, in service societies and in some dormant societies to revitalise some of the very weak societies. So, what is the use of duplicating a number of activities? Therefore, I would like to emphasise that the Ministry itself is trying to sabotage its own policy. Actually, we cannot blame the official or the non-official agencies that they have not fulfilled their functions or duties or tasks. The Ministry itself is sabotaging the co-operative sector, I would like to emphasise.

I would request the Minister to consider this piece of legislation afresh because this is not going to serve any purpose, is not going to serve the co-operative movement as such. There **will be this Board; there will again be another Board; there will be some sort of supervising agencies; there will be the National Co-operative Union and the State Co-operative Unions looking after co-operative farming and a number of other agencies.** So, the Ministry is rather multiplying the number of agencies. I should say that this Bill should be dropped. In this piece of legislation, there are some very vital defects. I am trying to be as brief as possible because there are a number of amendments in my name and I will deal with them in detail at that time, if possible. But I have to emphasise here two or three points.

[Shri D. B. Desai.]

The Minister has placed before this House a sort of replica of the existing Act. They have not drawn any experience from its working. There was that joint Board. That Board was represented by ten officials. The Government of India had nominated ten officials. There were five officials from the Reserve Bank of India and other bodies. Actually, it was an officials' Board, I should say. I do not want to go into the controversy whether officials or non-officials are efficient or whether who should be encouraged. But I want to emphasise this point that if you want to establish a Corporation to serve co-operative activities and at the same time to co-ordinate them and plan them the Rural Credit Survey Committee has proposed that there should be a link. Link between whom? Link between the Government of India on the one hand and the various agencies at the State level on the other. There are a number of agencies. There is the Reserve Bank of India, there is the State Bank and there are various other Boards which deal with co-operative activities. This Corporation is supposed to serve as a link. And actually the composition of this Corporation must be a sort of a federating unit having a federating function. If various interests are represented in the Corporation, it will be a sort of a supervising body in the right spirit. But actually what happens here is that only the State Bank and the Reserve Bank are represented and the State Co-operative Banks are not represented. The National Cooperative Union is represented. The Central Warehousing Corporation is represented. **But the State apex banks are not represented.** So, I want to emphasise that if you want at all to establish a Corporation, then there should be a real link between the co-operative activities in the State.

Again, I want to remind the Minister that if at all he wants that this

Bill should be carried through, then he must at least assure this House that clause 9(1) shall be implemented in the right spirit, because up till now, excepting the financial functions, nothing has been done. Even the rules specifically provide what activities are to be undertaken. The Corporation is to report back to the Government what activities have been undertaken. But actually we have not seen anything. So, if at all the Minister insists on establishing a Corporation, we want a specific assurance that this Corporation will be entrusted at least with planning, co-ordinating and promoting activities, of course according to the policy adopted by the Planning Commission or the Government of India. The Corporation should have a free hand, it should be given some latitude and it should be given initiative. But in this Act itself, I do not see anything like that. So, a specific and significant omission is there. I would like to say that we find nowhere the word 'co-ordinate' in this piece of legislation. Actually what does 'co-ordinate' mean? The co-ordinating function of the Board has been emphasised during the last five years. Even the Ministry has tried to emphasise on the State Governments that co-ordination must be done. But the Corporation which is contemplated to co-ordinate the activities is itself devoid of the powers of co-ordination. So, I would request the Minister to include the word 'co-ordinate' in clause 9(1). There is my amendment to that effect, no doubt. But myself being on this side of the House, I do not think that my amendment will be carried through. Therefore, I request the Minister to consider this point.

Then there is another point about the corporate functions of the Corporation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you take much more time?

SHRI D. B. DESAI: Just ten minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ten minutes more?

SHRI D. B. DESAI: I will finish within ten minutes. I now refer to the provision in clause 16:—

“16. (1) The Corporation shall prepare before the commencement of each year a statement of programme of its activities during the forthcoming year as well as a financial estimate in respect thereof.

(2) A statement prepared under sub-section (1) shall, not later than three months before the commencement of each year, be submitted to the Central Government for approval.”

Actually I do not know what the Minister intends the statement to contain and whether he will place it on the Table of the House, because the Minister at the time of every Budget will be coming before the House to get the sanction from the House for the funds, but he wants to withhold all the policies, all the pieces of information which have been supplied by the Board itself. I say: Why not this statement also be laid on the Table of the House when other reports are laid on the Table of the House under some provision? There are some reports which are to be laid on the Table of the House and so why cannot this statement also be laid on the Table of the House? It is because of this, I want to make out one point here that generally, when a corporate body is established—and it has become a habit with the Government of India to establish corporations; a number of corporations have come up—these corporations are taking away the powers from the Parliament. Actually, Parliament is supposed to supervise, a sort of controlling body controlling the activities of all the Government Departments, but at the same time a number of functions have been taken out, from time to time, from the Parliament. Now it has become a

sort of indirect control, because the Ministers are responsible to the House and the various corporations are responsible to the Ministries; the corporations are not responsible to the House here. So it has become a sort of indirect control when Parliament is supposed to sanction the funds.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): After all Parliament's responsibility is through Ministers.

SHRI D. B. DESAI: Yes, definitely; so why discuss Budgets here then? Let them pass their Budgets and just give us a report that they have sanctioned these Budgets. If that is the view taken, then there is no necessity that we should have any control over Budget Estimates. So actually all their activities are indirectly and slowly taken away from Parliament, and I would urge on at least the Minister for Community Development, Panchayati Raj and Co-operation, the Minister who is trying his level best to introduce Panchayati Raj, to introduce political democracy in actual practice and to leave real power in the hands of the rulers in the villages, that he should not be a party to this sort of taking away the powers from the Parliament itself. With these words I request once again the Minister that he should consider this legislation afresh, and I would urge him to drop the Bill as it will not serve any purpose and to improve the existing Board, if possible with the help of additional experience, with the help of fuller knowledge and with the help of the knowledge acquired of additional activities in the countryside.

Madam, I thank you.

श्री देवकीनंदन नारायण (महाराष्ट्र) :
आदरणीय उपसभापति जी, आप जानती हैं कि यह देश कृषि प्रधान देश है और हमारे करोड़ों किसानों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं। सैकड़ों ७० कुटुम्ब ऐसे हैं जिन के पास पांच एकड़ से कम जमीन है। यदि इन

[श्री देवकीनंदन नारायण]

किसानों का अपनी उन्नति करनी है तो इनका सहारा सिवाय कोऑपरेटिव सोसाइटी के और दूसरा नहीं हो सकता। धनवानों को, उद्योगपतियों को या व्यापारियों को कोऑपरेटिव सोसाइटी की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जरूरत किसानों, मजदूरों या देहाती कारीगरों को है और इसी निगाह से कई वर्षों से इस देश में कोऑपरेटिव का काम होता आया है। हर्ष की बात है कि अब कुछ वर्षों से इस काम में कुछ तेजी आई है और इधर दो तीन वर्षों से जब से कि हमारे आदरणीय मंत्री श्री डे साहब के ऊपर यह जिम्मेदारी आई है, कुछ तेजी बढ़ी है।

अभी अभी मेरे भाई देसाई बोल रहे थे। वे कल बोले और आज बोले और सारी तकरीर में सिवाय कोऑपरेटिव मूवमेंट को बुराइयां दिखलाने के; कोई खूबी उन्होंने नहीं दिखलाई। यहां तक कि कल बोलते वक्त वे कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में कुछ बुराइयां दिखलाने के लिए ५० पी० तक पहुंच गये जब कि वे कोल्हापुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं और खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके शहर में, उनके जिले में और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव का काम बहुत अच्छा हो रहा है। कोल्हापुर जिले में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रिज बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस कोऑपरेटिव के काम में कहीं खराबियां हैं ही नहीं। मैं यह नहीं कहता कि सब काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।

SHRI D. B. DESAI: Actually what is the share capital contributed by the peasants there?

श्री देवकीनंदन नारायण : I am coming to that, my friend; please wait. मैं ने यह नहीं कहा कि सब काम बिल्कुल सोलह आने हो रहा है। अगर सोलह आने होता तो फिर हम और आप चर्चा ही क्यों करते? परन्तु मेरे कहने का

मतलब यह है कि जब आप बालने के लिए खड़े हों ता सिर्फ खराबियां ही न दिखलायें, खूबियां भी दिखलायें।

SHRI D. B. DESAI: I was not referring to that; but I was dealing with the other functions of the Co-operative Board.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You had spoken for nearly forty-five minutes and now let Mr. Deokinandan Narayan go on uninterrupted.

श्री देवकीनंदन नारायण : मैं खूबियां दिखलाऊं तो इस में कोई विशेषता नहीं है। जब आप विरोध में अपने लिए कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका यह फर्ज है कि आप पहले खूबियां दिखलायें और बाद में बुराइयां दिखलाने की कोशिश करें तब तो कोई आपको सुनेगा, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देगा।

SHRI D. B. DESAI: The Minister knows that.

श्री देवकीनंदन नारायण : खैर, जो कुछ हो, मैं इस बिल पर आने से पहले दो एक बातें और कहना चाहता हूँ। मंत्री महाशय यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से हमारी खेती की उन्नति के लिये बहुत से उत्तेजन दिये जाते हैं, जो अधिक पैदा करते हैं, उन को इनाम दिये जाते हैं, सर्टिफिकेट दिये जाते हैं; उपाधियां दी जाती हैं, उसी तरह से मेरी प्रार्थना है मंत्री महाशय से कि इस कोऑपरेटिव के काम को जो आज देश में बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, जो सोसाइटियां चला रही हैं, जो कार्यकर्ता चला रहे हैं, जो जिले चला रहे हैं उन को भी इनाम दिये जायें, सर्टिफिकेट दिये जायें, उपाधियां दी जायें। कृषि पंडितों की तरह आप सहकार पंडित भी बनायें। इस तरह से आप उत्तेजन देंगे तो कार्यकर्ताओं को उत्तेजन मिलेगा और सोसायटियों को भी उत्तेजन मिलेगा।

श्री अफ़्कर अली खान : बहुत पंडित हो जायेंगे।

श्री बेवकीनंदन नारायण : हूँ जाने
बीजिये ।

मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो सोसायटी, जो कोऑपरेटिव यूनियन, या जो बैंक सारे देश में अच्छे से अच्छा काम करती हो और जिस वर्ष जो पहला नम्बर प्राप्त करे, उस वर्ष उस को इस कारपोरेशन में एक रेप्रेजेंटेटिव की जगह दी जाये । आप सब सदस्यों को वहाँ नामिनेट करना चाहते हैं । मैं यह कहूंगा कि उत्तेजन के तौर पर, इनकरेजमेंट के तौर पर जो सोसायटी, जो यूनियन या जो बैंक सारे देश में अच्छे से अच्छा काम करती हो, उस को इस में रेप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिये ।

आप जानते हैं कि एक जमाना था जब हमारे गांव एक तरह से कोऑपरेटिव सोसायटी थे, उद्योग धंधों के गिल्ड्स थे ; उन्हीं में से शायद हमारी ये जातियाँ भी पैदा हुई हैं । उनमें बहुत अच्छा काम होता था और उन गिल्ड्स की विशेषता यह थी कि वे स्वयं प्रेरित थीं, स्वयं शासित थीं । दूसरा कोई उन को सिखलाने वाला इस तरह का नहीं था जो उन की पीठ पर बैठा रहे । आज तो यह हालत है कि अधिकतर सोसायटियों का निर्माण सरकारी कर्मचारी करते हैं । और वे यह कोशिश करते हैं कि साल में इतनी कोऑपरेटिव सोसायटी तो बननी ही चाहिये और इस को बनाये बगैर चलेगा नहीं, तो इस तरह लोगों का खुद का इनीशियेटिव उस में से खत्म हो जाता है, उस में जितना इंटेरेस्ट लेना चाहिये वह नहीं लेते हैं । आफिसर्ज अक्सर देखा करते हैं कि किसी तरह से साल का टार्गेट पूरा कर दें, इतना कर्ज बांटना है वह बंट जायें, इतनी सोसायटियाँ खड़ी करनी हैं वह खड़ी हो जायें, परन्तु जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है, जनता जब स्वयं प्रेरणा से किसी काम को करेगी तब ही कोऑपरेटिव मूवमेंट की जड़ नीचे जायगी नहीं तो यह एक मैकेनिकल मामला हो कर रह जायेगा । मैं खास कर मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप देख रहे हैं कि सोसायटियों की तादाद तो बड़ी तेजी से

बढ़ रही है पर दुःख के साथ कहना होगा कि कोऑपरेशन उतना ही रखसत होता जा रहा है । जैसे शरीर के बहुत मोटे होने के बाद उस में प्राण कमजोर हो जाता है उसी तरह से कोऑपरेटिव के इस विस्तार के साथ उस की गहराई कम हो रही है और वह दुबल बन रहा है । हालांकि फील बहुत रहा है मगर फीलने का मतलब यह नहीं है कि ताकत बढ़ रही है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि कोऑपरेटिव सोसायटियों की संख्या भले ही बढ़े और हिसाब-किताब तथा और और बातें आप खूब देखें परन्तु असलियत से नजर न दूर करें, असलियत को न भूलें, हर कदम पर यह देखें कि कोऑपरेशन कहां तक बढ़ रहा है, आपस में प्रेम और सहकार कहां तक बढ़ रहा है । कहीं कोऑपरेटिव सोसायटियों में आपसी झगड़े के मूल तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कोऑपरेटिव सोसायटियों में पंचायतों ने जैसे गांवों को—किसानों को आपस में विभाजित कर दिया है, ऐसी बात तो नहीं हो रही है, यह आप को देखना चाहिये और इस और ज्यादा से ज्यादा निगाह देनी चाहिये कि कोऑपरेशन बढ़ाने के लिये कौन सी तरकीब होनी चाहिये । आप के बहुत से अफसर हैं जो कि आडिटिंग करते हैं, एकाउण्टिंग करते हैं, और न जाने क्या क्या देखते हैं, मगर कोई यह नहीं देखता कि वहां प्रत्यक्ष में कोऑपरेशन बढ़ रहा है या नहीं, प्रत्यक्ष में सहकार बढ़ रहा है या नहीं । प्रेम बढ़ रहा है या नहीं, सब मिल कर काम करते हैं या नहीं । कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब क्या है ? मतलब यह है कि गांव वाले मिल कर काम करें, एक दूसरे को सहायता दें और कम से कम बाहर की मदद नें । इसी लिये वह सोसायटी अच्छी मानी जाती है जो कि बाहर से कर्जा नहीं लेती, जो बाहर से मदद नहीं लेती । That is called first class society. तो इसी तरह से आप को इस काम की और निगाह देनी चाहिये और यह कोशिश करनी चाहिये कि कोऑपरेटिव सोसायटियों के जरिये पहले कोऑपरेशन बढ़े और बाद में और बातें पैदा हों । असलियत को आप भूल

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

जायेंगे तो आप के हाथ में स्कैलेटन रह जायेगा, हाथ में मुर्दा रह जायेगा और जान हाथ से चली जायेगी।

अब, इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी कुछ सूचनायें हैं, वह मैं करना चाहता हूँ। पहली सूचना इस बारे में है कि इस में यह है :

“Agricultural produce” means any of the following classes of commodities, namely:—

(i) foodstuffs, including edible oil-seeds;”

मैं पूछना चाहूंगा कि इस में मिल्क (दूध) को क्यों नहीं दाखिल किया गया ? किसान के लिये दूध उतना ही महत्व का प्रोड्यूस है जितना कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो सकता है।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : मछली भी हो।

श्री देवकीनन्दन नारायण : बिना गाय-बैल के खेती हो नहीं सकती, गाय-भैंस से ही उन को पूरक उद्योग मिलता है, यह उन का सप्लोमेंटरी आकुपेशन है, यहाँ तक कि गाय-भैंस किसान कुटुम्ब के ही मेम्बर्स हैं, हमारे किसान-कुटुम्ब के ही ये मेम्बर्स हैं। इस हिसाब से मैं आप से कहना चाहूंगा कि foodstuffs including edible oil-seeds के बाद “and milk” और लिख दिया जायें; क्योंकि यह उन के जीवन का, उन के उत्पादन का, बहुत बड़ा सहारा है और जिस का खेती से सीधा सम्बन्ध है। गाय-बैल किसान के कुटुम्ब के ही मेम्बर्स हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिये आप दूध को भी नज़र न कर सकते। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हालांकि मैं मानता हूँ कि फूड-स्टप्स में फल और तरकारी को शामिल करते हैं, लेकिन यदि न करते हों तो उस को भी यहाँ शामिल कर लिया जाये।

इस के बाद मैं आता हूँ क्लॉज ३ पर। यह constitution of the Corporation के बारे में है। इस में C 1. 3(3) (v) में लिखा है : —

“eight non-officials nominated by the Central Government of whom:—

(a) one shall be a representative of the National Co-operative Union of India;

(b) two shall be persons who have special knowledge of rural economics and co-operation; and

(c) five shall be persons recommended by State Government,”

यह इस तरह से हो जाने के बाद मैं नहीं समझा कि नॉमिनेशन कहाँ रहा ? तो यहाँ जो शब्द हैं :— “eight non-officials nominated by the Central Government”

इसमें से “nominated” शब्द निकाल दिया जाये; क्योंकि “one shall be a representative of the National Co-operative Union of India,

(b) two shall be persons who have special knowledge of rural economics and co-operation, chosen by the Government, and (c) five will be recommended by the State Governments.” Where then remains nomination?

PROF. M. B. LAL (Uttar Pradesh): When the word “chosen” will be used, the word “nomination” will be done away with. That is what you want.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: What I want to say is when one shall be the representative of the National Co-operative Union of India, he will be the representative sent by the Union. But, this nomination governs all the three and not one, as you say.

SHRI D. B. DESAI: What about sub clause (1)?

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: I am talking about sub-clause 3(3)(v). That is why the word “nominated” should be removed from here and the clause should read thus:

“The eight non-officials will be as follows:—

(a) one shall be a representative of the National Co-operative Union of India;

(b) two shall be persons who have special knowledge of rural economics and co-operation chosen by Government, and

(c) five shall be persons recommended by State Governments on a zonal basis."

These five will be recommended by the States and so they will be there. Where is the question of nomination?

SHRI D. B. DESAI: I did not oppose nomination.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: You are not my subject of discussion and you cannot be my subject, "nomination" जो शब्द है, वह redundant है, ऐसा मैं मानता हूँ।

इसके बाद, I come to clause 9(3) इस और मैं मंत्री महाशय का लक्ष्य खीचना चाहता हूँ। यह क्लॉज इस तरह से है :—

"The Corporation shall so exercise its functions under this section as not to interfere with the activities of the Khadi and Village Industries Commission established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956."

मैं जानना चाहता हूँ कि यह इंटरफियरेंस का सवाल पैदा कैसे हुआ ? यहाँ इंटरफियरेंस का मतलब क्या ? आना है क्यों ? क्या बात है कि यहाँ इंटरफियर शब्द लाया गया ? क्या शक पैदा हुआ, क्या सवाल पैदा हुआ ? यह मैं जानना चाहूँगा। मैंने खुद सोचा कि क्या बात है, यह कारपोरेशन खादी कमीशन के काम में कैसे इंटरफियर कर सकता है, क्योंकर करेगा, क्या शक पैदा हुआ ? तो यह सोचते सोचते कि यह इंटरफियर शब्द क्यों है और कहीं न कहीं मंत्री महाशय को या गवर्नमेंट को शक हो रहा है तो इसको बहुत कुछ देखने पर मुझे यह मिला जहाँ कि कारपोरेशन का काम बतलाया है, "Functions of Corporation."

यहाँ यह बात है :—

" . . . shall be to plan and promote programmes for the production,

processing, marketing, storage, export and import of . . ."

प्रोडक्शन में कोई सवाल नहीं आता और आता भी होगा तो बहुत कम आता है। खास करके सम्बन्ध प्रायेंसिंग में। यानो मुझे डर है कि इस कारपोरेशन का कहीं ऐसे काम न करने पड़ें जिससे कि खादी कमीशन के काम में रुकावट पैदा हो जाये, या इण्टरफियरेंस हो जाये। How is this word "interfere" going to be defined?

प्रायेंसिंग को ले लीजिए आप। हैण्ड पाउण्डिंग ऑफ राइस सैकड़ों गांवों में चल रहा है, जिससे लाखों देहाती आदमी अपना पेट भरते हैं। जहाँ हैण्ड पाउण्डिंग का काम हो रहा है वहीं गवर्नमेंट की सम्मति से, यानी गवर्नमेंट की मदद से, राइस फैक्टरीज खोली जा रही हैं। क्या इसी का मतलब है इण्टरफियरेंस ? यही ध्यान में आना है ? जिस वक्त आपने ये शब्द लिखे आपको यह शक था कि कहीं खादी कमीशन का हैण्ड पाउण्डिंग का काम शुरू हो तो वहाँ हमें किसानों की कोआपरेटिव सोसाइटी को एक आध फैक्टरी खोलने की इजाजत देनी पड़े। Then there could be interference. यह एक बहुत बड़ा सवाल है।

इसी तरह से ऑइल प्रेंसिंग के सिलसिले में हम बहुत सी जगह देख रहे हैं कि जहाँ कोल्हू चल रहे हैं, सैकड़ों घानियां चल रही हैं, वहाँ आपकी ही मदद से, कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से एक आइल मिल निकलती है जिससे कि हजारों कोल्हू बन्द हो जाते हैं। क्या आप इसी को इण्टरफियरेंस कहते हैं ? और इसी को यदि आप कहते हैं तो क्या मैं इसका अर्थ यह समझू कि आप अब आगे से ऐसा काम नहीं होने देंगे ? क्या आप वायदा करते हैं कि जहाँ जहाँ कोल्हू चलते हैं, हैण्ड पाउण्डिंग होती है, वहाँ फैक्टरी नहीं खुलेगी, जहाँ अम्बर चखें चल रहे हैं, वहाँ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल नहीं निकाली जायेगी ? यह कहा गया था कि जहाँ अम्बर चखें अच्छी तादाद

[श्री देवकीन्दन नारायण]

में चलेंगे वहां कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल नहीं निकाली जाये । जिस वक्त राइस बिल यहां पेश हुआ उस वक्त यह कहा गया था कि जहां हैण्ड पाउण्डिंग का काम चल रहा है वहां राइस मिल नहीं खोला जायेगा । हलर टाइप राइस मिल को कभी इजाजत नहीं दी जायेगी । ये तमाम बातें जो गांवों में देहातियों की बेहतरी के लिये खादी कमिशन कर रहा है उन कामों में आप इण्टरफियर नहीं करेंगे, इसके लिये कहां तक वायदा आप करते हैं या चाहते हैं कि ऐसा ही हो ? नहीं तो एक तरफ से कोऑपरेटिव मूवमेंट चलेगा, एक तरफ से खादी कमिशन का काम होता रहेगा, दोनों में मुठभेड़ होगी और जो दुर्बल है—देवों दुर्बलघातकः—वह कहीं का न रहेगा और इस न्याय से खाली कमिशन को नोचा देखना होगा और आपका खाली इण्टरफियरेंस शब्द बना रहेगा । इसलिये मैं चाहूंगा । आप इस बात को साफ करें कि आप किस मतलब से इण्टरफियरेंस शब्द रख रहे हैं और इण्टरफियरेंस से खादी कमिशन को आप किस तरह से बचायेंगे ?

इसके बाद क्लोज नम्बर १० आता है । इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी किस तरह से बनाई जायेगी । जब सारा कारपोरेशन जो २५-३० आदमियों का होगा और वह नामिनेशन से बनेगा, फिर किस कारण से इस कारपोरेशन को अपनी एग्जीक्यूटिव बनाने का अख्तियार नहीं देते? क्या जरूरत है कि उसमें भी सरकार का नामिनेशन हर जगह हो, यानी—
Executive Committee of the Corporation should also be nominated. I cannot understand when the whole Corporation is a nominated one:

आप देखियेगा—

“There shall be an Executive Committee of the Corporation which shall consist of the following Members:

(a) The Vice-Chairman of the Corporation, (b) Three members

nominated by the Central Government in such manner as may be prescribed from among the members of the Corporation.”

Why should not the members of the Corporation be allowed to elect these three members? They would elect from among themselves.

वे जो कारपोरेशन के मेम्बर होंगे वे आपके ही नामिनेट किये हुए हैं, फिर मैं नहीं समझा कि क्या कारण है कि नामिनेटेड मेम्बरों में से फिर नामिनेट करने को सरकार को जरूरत पड़ी? एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिये इसी तरह से—

“Two members nominated by the Central Government from among members of the Corporation referred to in clause (v) of the subsection (3) of Section 3.”

कारपोरेशन के मेम्बरों में से फिर आप नामिनेट करते हैं । कारपोरेशन के मेम्बरों को ही यह अख्तियार क्यों नहीं देते, यह मेरी समझ में नहीं आया । तो मैं यह कहूंगा कि आप क्यों नहीं इस कारपोरेशन को अख्तियार देते कि वह अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी अपने आप चुन ले ? क्योंकि आखिर वे चुन जायेंगे तो आपके ही नामिनेटेड मेम्बरों में से चुन जायेंगे, कोई बाहर का तो आने वाला नहीं है ।

इस के बाद और भी अख्तियार उस बेचारी एग्जीक्यूटिव कमेटी को नहीं रखे । क्लोज १० सब-क्लोज (२) (बी) में लिखा है :—

“The Vice-Chairman of the Executive Committee shall be nominated in such manner as may be prescribed from among the members referred to in clause ‘(b)’ of subsection (1).”

यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरों आप ने नामिनेटेड बना दिये और नामिनेटेड बना देने के बाद भी आप कहते हैं कि वे अपना

वाइस चेयरमैन तक न चुनने पायें, उस को भी हम नॉमिनेट करें। यानी, जिस कारपोरेशन को आप बनाने जा रहे हैं, जिस कारपोरेशन के मेम्बर्स आप ने नॉमिनेट किये होंगे, एग्जीक्यूटिव आप ने नॉमिनेट की होगी, उस एग्जीक्यूटिव का वाइस चेयरमैन चुनने का अधिकार नहीं दिया जाये, यह मुझे हास्यास्पद मालूम देता है।

अब एक अग्नेण्डमेन्ट पेश हुआ है कि इस को जाँइण्ट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाये। मैं ने समझने की कोशिश की कि क्या कारण है कि मेरे मित्र चाहते हैं कि इस को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया
(मध्य प्रदेश) : दुर्भाग्य है।

श्री देवकीनंदन नारायण : आप का तो हो सकता है। मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूँ, दूसरे के दुर्भाग्य को भी। मैं यह तो नहीं कहता कि यह बिल निर्दोष है, शुरू से आखिर तक "ए टु जैड" निर्दोष है, मगर छोटी मोटी बातें होती हैं उन के कारण एक बड़े काम को रोक रखना, उस में समय बिताने की कोशिश करना, यह मैं ठीक नहीं समझता।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : जब तक क्राउन है सिर पर, तब तक नहीं समझेंगे आप।

श्री देवकीनंदन नारायण : वह आप के सिर का निकला हुआ दिवाई दे रहा है। तो मैं यह कहूँगा कि जिस नीयत से मेरे मित्र इस तरह का विरोध करते हैं, जाँइण्ट सेलेक्ट कमेटी की बात करते हैं, इस को ढील में डालना चाहते हैं, उस के साथ कोई ऐसा सबूत उन्होंने नहीं बतलाया कि जिस से ऐसा लगे कि यह बिल आज पास हो जायेगा तो दुनिया डूब जायेगी या कोआपरेटिव मूवमेण्ट डूब जायेगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : मैं ने कहा नहीं कि पुराना कानून चल रहा है, काम बराबर चल रहा है और चलता रहेगा। अब आप की समझ मे मेरा भाषण नहीं आया तो मेरा दुर्भाग्य है।

श्री देवकीनंदन नारायण : आप के बहुत दुर्भाग्य हैं, वे इस जन्म में आप से छूटने वाले नहीं हैं। तो, मैं यह कह रहा था कि मैं यह नहीं कहता कि यह निर्दोष बिल है। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं इस में, परन्तु वे ऐसी नहीं हैं जिन के लिये इस काम को रोका जाये, कोई काम को रोकने की जरूरत नहीं है; क्योंकि जिस उद्देश्य से यह कारपोरेशन बनाया जा रहा है, जिस कोआपरेटिव मूवमेण्ट को इस कारपोरेशन के जरिये से पैसा मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है, जिस की आज बहुत जरूरत है, मैं नहीं समझता उस को क्यों रोका जाये ? कुछ लोगों का स्वभाव हो गया है विरोध के लिये विरोध करना। और कोई काम नहीं उनका। चलती गाड़ी को रोकना, यही उन का फ़र्ज रह गया है। और बात भी सच है कि जहाँ उन्हें यह डर है कि कोई हमारी सुनेगा नहीं वहाँ वे अपने विरोध की तूती बजाते रहते हैं और अखबार का काम किया करते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूँगा कि यह जो जाँइण्ट सेलेक्ट कमेटी की बात है यह बिल्कुल बेकार है और इस से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ तजुबों के बाद भी इस में बदल हो सकता है और आगे चल कर अग्नेण्डमेण्ट हो सकते हैं, यह नहीं कि आज जो बन गया, सदा के लिये बन गया और उस में कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। तजुबों से, वर्ष छः महीने में या कुछ समय बाद अग्नेण्डमेण्ट हो सकते हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि कोई कारण है कि सेलेक्ट कमेटी के अग्नेण्डमेण्ट को पास किया जाये।

उपसभापति : और कितना वक्त लेंगे ?

श्री देवकीनंदन नारायण : वन मिनट :
जसाकि मैं ने शुरू में प्रार्थना की कि जो सोसाइटियां हैं, यूनियनों हैं, या बैंक हैं, अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो कॉर्पोरेशन में उन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाये। इस में जिन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वे सब सरकारी बैंक्स हैं। हिन्दुस्तान में जो कोऑपरेटिव मूवमेण्ट चल रहा है उस कोऑपरेटिव मूवमेण्ट को इस में कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक है और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां तक मेरे स्टेट का ताल्लुक है, मैं तजुर्बों से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। That bank is one of the best banks in India. उसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि अगर आप नीचे की सोसाइटियों को देखें, जिले पर आयें, जिले से नीचे आयें, तो आप को देश में बहुत सी सोसाइटियां अच्छा काम करती हुई दिखलाई देंगी। मुझे अपने जिले के बारे में तजुर्बा है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस समय वहां पर करीब १,३०० सोसाइटियां काम कर रही हैं।

एक माननीय सदस्य : कोऑपरेटिव सोसाइटियां ?

श्री देवकीनंदन नारायण : कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं और ये सोसाइटियां क्रेडिट से ले कर कोऑपरेटिव फार्मिंग तक की हैं। हर तहसील में सेल्स परचेजिंग यूनियनों, मार्केटिंग सोसाइटी और फ्रूट सेलर्स सोसाइटियां बनी हुई हैं। इन सोसाइटियों से दिल्ली में दो कराड़ रुपये के कंले हर साल आते हैं। ता मेरा कहना यह है कि जो सोसाइटियां या कोऑपरेटिव बैंक अच्छा काम कर रही हैं उनको इसमें अवश्य रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिये। मेरे यहां कोऑपरेटिव डिस्ट्रि-

क्ट बैंक है जो ७ कराड़ रुपये का लेन देन हर वर्ष करता है। चार इस्टर्न स्टेट्स के जो बैंक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मारफत काम करते हैं उनका भी काम इस बैंक के मुनाबले में नहीं हो रहा है जो मेरे जिले में एक बैंक कर रहा है। मैं इस तरह का बात कह कर अपने राज्य या जिले का ताराफ नहीं कर रहा हू; बल्कि मैं यह कहना चाहता हू कि जो राज्य या जिले या जिला कोऑपरेटिव मूवमेण्ट का बढ़ावा दे रहा है या अच्छा काम कर रहा है उसका इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाय, ताकि औरों को भी इससे बढ़ावा मिले और उत्तेजना मिले। इस बात को ध्यान में रख कर मैंने अपने जिले का जिक्र किया। मैंने ये बातें अपने जिले की तारीफ करने के लिये नहीं कहीं, यह तो मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा कि जो जिला, कोऑपरेटिव मूवमेण्ट को बढ़ावा देता है, उसका आपका बढ़ावा देना चाहिये ताकि उसका ताकत और ज्यादा बढ़े। इस तरह की जो सोसाइटियां हैं और जिलों में काम कर रही हैं वे कोऑपरेटिव मूवमेण्ट को बढ़ाते वाली हैं। मेरा प्रार्थना है कि आप इस बिल का अवश्य मंजूर करें।

SHRI J. VENKATAPPA (Mysore):
Madam Deputy Chairman, at the out-
set I would like to thank the Chair
for having given me this opportunity
to express a few of my views on this
important Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are
not audible. You may move a little
forward.

SHRI J. VENKATAPPA: All right,
Madam.

This Bill is important because it has
been brought forward with the pri-
mary intention of promoting the
development of output of agriculture,
the vocation on which about 68 to 70
per cent of the population of our
country living in poverty-stricken
villages depend entirely for their liv-

ing. It would have been appreciated even more if the Bill had contained some provisions of still broader outlook in order to cater to the needs and wants of agriculturists who are always subjected to various natural vicissitudes like floods, scarcity of water, scanty rainfall and also infections of various diseases which affect their crops. The Planning Commission has also accepted that various experiments through their Plans have proved fruitless because either they were not popularised among the rural folk or there was want of enthusiastic co-operation of the rural folk. Their co-operation and enthusiasm were not properly encouraged. Their enthusiasm could have been encouraged in so many of the projected plans had they been properly implemented with due representation of the rural folk. In that case they would have been encouraged and induced to participate in many of these activities and the results would then have been something better. The Planning Commission has also accepted in some of its reports that the benefits of the Plans have not reached the rural folk. The defect is that influence and favouritism have diverted the resources in an altogether different way. The Planning Commission itself is not free from this influence and favouritism. When we come to the development of the sugar industry, we notice the establishment of so many sugar factories in areas where the percentage of sucrose content of the sugarcane is comparatively less than in other areas. Also, if it is not out of favouritism, then on what grounds have they recommended the starting and establishing of two more spun silk factories in the country when we do not have adequate supply of the raw materials and the silk waste is insufficient even for the existing factories? Is this not just to fulfil the intentions of a few dynamic persons that these two factories have been included in the Third Plan in spite of strong protests from the Silk Board which is the technical body concerned?

As far as the other aspects of this Bill are concerned, they are intended to assist or to go to the rescue of the rural folk or the agriculturists through the co-operative movement, that is to say, through the co-operative principle. Under clause 9 it is stated that the purpose is to go to the rescue of the uneconomic rural folk by means of these co-operative institutions. How far these co-operative institutions are successfully functioning in this country now is a question to be examined. Nearly 60 to 70 per cent of the rural co-operative institutions are not functioning properly. In one way or the other they are involved in defalcation cases and they are almost in the closing stage. When you are intending to use this co-operative movement to assist economic development, you will have to renovate those institutions which are almost on the point of being extinguished. Therefore, this becomes a great problem to be solved. You also intend to promote the import and export of agricultural commodities through these co-operative institutions. It has been our experience in the past that so many attempts at export and import of agricultural commodities have resulted in utter failure. They have not been properly accounted for. Also the benefits have not gone to the poor shareholders because of the interference and malpractices of the middlemen, whom the Government is incapable of taking any action against. They cannot even prevent many of the defalcations. Neither can they prevent the monopoly of these middlemen in these co-operative institutions. When this is the state of affairs of these co-operative institutions, I fail to see how the Central Government are of the opinion that they can develop agricultural products through co-operative institutions, with their head office in New Delhi.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member may continue later. The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the Clock.

The House reassembled after lunch at Half-past-two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair.

SHRI J. VENKATAPPA: Mr. Vice-Chairman, I was saying that when the functioning of rural co-operative institutions is not satisfactory, the Central Body or the body corporate according to this Bill cannot have much of administrative control over the rural institutions at the State level. Therefore, as all the States are now engaged in establishing their own Warehousing Corporations, I mean to suggest that those Warehousing Corporations at the State level should be affiliated to the Central body corporate and then it will be advisable to divert assistance by way of grant of loans, etc., through those bodies for the purpose of development of agricultural produce.

Under clause 3(a) it is intended to establish the Corporation with nine officials, one representative of the Reserve Bank of India, one of the State Bank of India, one representative of the Central Warehousing Corporation and eight non-officials. Among the eight will come one representative of the National Co-operative Union, two persons well conversant in rural economy and five representatives from the States to represent the agricultural community. As long as we have such persons to participate in such institutions we cannot have better results. What I would like to suggest is that you should nominate more non-officials in which case we can expect the participation of the agricultural community. They will be encouraged to take part in this programme of development of agricultural produce.

Coming to the definitions clause, clause 2, I find that foodstuffs include edible oilseeds. I do not know whether you have included under the item "foodstuffs" potatoes and onions also. They are importable and exportable commodities. They also come under agriculture and I suggest that potatoes and onions be included under foodstuffs.

Then I come to clause 6 which deals with the removal of members. You have provided only for the removal of non-officials, those who are other than ex-officio members. On this very same ground it should be possible to remove ex-officio members from office. What practical difficulty will be encountered, I do not understand. Is it because that this Bill was drafted by the officials that they want to exclude themselves from any action that may be taken by Government? This has to be clarified.

Clause 20 provides for the production of a declaration of fidelity and secrecy and the form is given in the Schedule according to which fidelity and secrecy have to be declared. The question, as Mr. Chordia put before, is that it is nowhere mentioned as to before whom the declarations have to be made. This must be clarified.

As this Bill has already been passed in the Lok Sabha, it may be difficult for Government to go back again to that House or to withdraw the Bill or modify the form of this Bill so as to give more representation to the non-officials, I, therefore, advocate that this Bill may be referred to a Select Committee and again be brought here in a modified form.

श्री शोलभद्र याजी : माननीय वाइस चेयरमैन महोदय, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विधेयक सदन क सम्मुख प्रस्तुत है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूँ ।

अभी देश में कृषि उत्पादन की बहुत आवश्यकता है। इसीलिये यह जो कॉरपोरेशन बनने वाला है इससे देश में जो सहकारी समितियां हैं उनका सहायता मिलेगी और खास करके राज्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में और अच्छे खेतों करने के लिये इससे फाइनेंशियल मदद मिलेगी। इस बिल का अत्यन्त आवश्यकता है और इस बिल का सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जा हमारे जनसंघ के प्रतिनिधि एक प्रस्ताव लाये हैं, वह मैं समझता हूँ कि विलम्ब करने की नीति है और सदन को उसका विरोध करना चाहिये। जिस समाजवाद का हमने अपनाया है वह शासन पार्टी का आज से नहीं बल्कि बराबर अक्रोदा रहा है। उसने पहले समाजवाद लिया और उसके बाद साशलिस्ट कोऑपरेटिव कॉमनवैल्य की घोषणा की। हमारी शासन पार्टी के दिमाग में बराबर यह रहा है कि जब तक सहकारिता आन्दोलन बल नहीं पकड़ेगा और सहकारी संस्था नहीं बनेंगे तब तक मुल्क में जल्दी से जल्दी समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि जब तक मिलजुल करके काम करने की नीति नहीं रहेगी तब तक प्राइव्शन भी नहीं बढ़ेगा, चाहे वह औद्योगिक प्राइव्शन हो या कृषि प्राइव्शन हो।

इसके अतिरिक्त मैं केवल शासक पार्टी की बातें नहीं कह रहा हूँ, देश में जितनी समाजवादी संस्थाएँ हैं उन सब को यह नीति है कि सहकारी आन्दोलन को मदद दी जाय और इसको जन आन्दोलन बनाया जाय। यह दुर्भाग्य का बात है कि हमारे देश में एक ऐसी स्वतन्त्र नामक पार्टी है जिसमें राजे महाराजे, रिप्रेजेंटरी और प्यूडल लोग शामिल हैं और उसके एक नेता हमारे डाह्याभाई पटेलजी भी हैं। उस पार्टी के सबसे बड़े नेता श्री राजगोपालाचारी से लेकर नीचे तक सहकारी आंदोलन का और खास तौर से जो कृषि में सहकारी संस्थाएँ बनाने की बात सोचते हैं उनका विरोध करते हैं। लेकिन हम लोगों में जो यह समझते हैं कि जल्दी से जल्दी समाज-

वाद की स्थापना हो और जल्दी से जल्दी ज्यादा कृषि का उत्पादन हो, वे उसकी अहमियत को समझते हैं कि जब तक देश के कोने कोने में सहकारी संस्थाएँ नहीं बनेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। इसलिये सहकारी संस्था को बनाने के लिये राज्य सरकारों को जो इसके द्वारा मदद दी जाने वाली है उसका हर एक सदस्य को तहेदिल से समर्थन करना चाहिये और उसका विरोध नहीं करना चाहिये। हमारे एक नेता ने यहाँ कहा कि सहकारी संस्थाएँ तो बन रही हैं, लेकिन जिस तरह से आदमों मोटा हो जाता है, उसका पेट बड़ा हो जाता है और वह चल नहीं पाता है, उसी तरह की हालत सहकारी आन्दोलन, कोऑपरेटिव बैंक आदि की हो रही है। मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये। फिर उन्होंने जब अपने जिले का हुवाला दिया तो यह कहा कि इतना काम हो रहा है, इतने कराँड़ का केला बाहर भेजा जाता है। तो उसको अहमियत को समझते हुये यह कहना कि उसका पेट तो मोटा हो गया है, चला नहीं जाता है, यह उनके लिये शोभा की बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने यह बात उठाई।

हम बार बार शुरू से कह रहे हैं कि साथ देश में कोऑपरेटिव होना चाहिये, कोऑपरेटिव फार्मिंग होना चाहिये लेकिन उसकी अहमियत को, उसका जो महत्व है उसको, हम जनता के बीच में नहीं ले जा रहे हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जब तक हम किसानों को यह नहीं समझायेंगे तब तक वह इसे कैसे समझेंगे। हमने सीलिंग तो फिक्स कर दिया है लेकिन फ़ालतू ज़मीन कृषि मजदूरों को नहीं दी। हमने कहा था कि सीलिंग फिक्स करने के बाद जो फ़ालतू ज़मीन होगी वह पंचायतों को देंगे। सरकार के पास भी बहुत सी फ़ालतू ज़मीन है, फ़ैलो लैण्ड है और हमें चाहिये कि जल्दी से जल्दी पंचायत को उसे दें, जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं या जो भूमिहीन किसान हैं, कम ज़मीन वाले हैं, ग्राम पंचायत

[श्री शीलभद्र याजी]

द्वारा उनका सहकारी संस्था बना कर उसे देना चाहिये ।

इस बिल की धारा ६ में कहा गया है कि बीज के लिये, खेतों के औजार के लिये, खाद के लिये हम सब तरह को व्यवस्था करने जा रहे हैं । इस तरह को बात धारा ६ में कही गई है । एक किसान यदि आधुनिक तरीके से खेती करना चाहता है और उसके पास साधन नहीं हैं तो वह फिर कैसे आधुनिक तरीके से खेती कर सकता है । इसलिये जब सरकारी खेतों हानगे और सहकारी खेतों करने के लिये उसका आर्थिक सहायता मिलेगी, अच्छा खाद मिलेगा, अच्छा बीज मिलेगा और सिंचाई का इन्तजाम होगा और जो आधुनिक तरीका है उसके लिये औजार मिलेगा तब ही वह अच्छी तरह से खेती कर सकता है । इसलिये इस आन्दोलन को जब तक जन-आन्दोलन नहीं बनायेंगे और इसको हिन्दुस्तान के कोने कोने में नहीं फैलायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा । हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हर एक गांव में एक पंचायत हानी चाहिये, एक स्कूल हाना चाहिये, एक औषधालय हाना चाहिये और उसके साथ साथ एक सहकारी समिति भी हानी चाहिये । आज हिन्दुस्तान में ५, ६ लाख गांव हैं और जो जनता के रिप्रजेन्टेटिव हैं उनको यह भार अपने ऊपर लेना है कि वहां इस चीज का जल्दी से जल्दी फैलायेंगे । जितनी समाजवादी पार्टियां हैं एक पार्टी का मैंने शुरू में अपवाद कर दिया, वह पार्टी तो इसका विरोध करेगी लेकिन और जो पार्टियां हैं जो कि सहकारिता के आन्दोलन में विश्वास करती हैं—उनके लिये जरूरी था कि गांव गांव में जाकर किसानों को यह समझाने की काशिश करतीं कि सहकारिता आन्दोलन का क्या महत्व है क्योंकि जब तक यह जन-आन्दोलन नहीं होगा तब तक लांफप्रिय नहीं होगा और जब तक किसान उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं तब तक सफल नहीं होगा । इसके बारे में सरकार का भी फर्क था कि

सरकार के पास जो फ़ालतू जमीन है, फ़ैला लैण्ड है, बंजर ज़मान है, सालिग फिक्स करने के बाद जा ज़मान आता है, उसको भूमिहीन लोगों का देना और उस पर को-प्रोपरेटिव फार्मिंग करातो । इसके बाद जब अगल बगल के किसान देखते कि सहकारी खेतों करने से इतना फायदा हाता है तो उनको भी प्रलाभन हाता, इंसेंटिव हाता और उनको प्रोत्साहन मिलता लेकिन हमारी सरकार भी कछुए की गति से चलती है, कछुआ जैसे धीमे धीमे चलता है उसी तरह वह भी, उसका काम भी चलता है । लेकिन सरकार का इसे करने का इरादा है और वह करेगी, परन्तु सिर्फ़ आफ़िशियल्स का ही रख कर करे तो ठीक नहीं हांगा । जितने अधिकारी हैं वे न तो को-प्रोपरेटिव के, सहकारिता के महत्व को समझते हैं और न समाजवाद को समझते हैं और उनके हाथ में इस काम को करने के लिये दिया गया है । तो जब तक गैर सरकारी संस्थायें और लाग इसमें ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हांगा ।

८ करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन ने सहकारिता को ट्रेनिंग के लिये, प्रशिक्षण के लिये दिया है और मैं समझता हूं कि वह नाकाफ़ी है । जब तक ठीक से प्रशिक्षण नहीं हांगा तब तक बगैर ट्रेनिंग के कोई काम हांने वाला नहीं है । इसलिये को-प्रोपरेटिव वर्कर्स को तैयार करने के लिये जो ८ करोड़ रुपया रखा गया है उसको डबल करना चाहिये क्योंकि हमारी जो सारी प्लानिंग है, योजना है, उसका सफलीभूत हांना, कामयाब हांना सहकारिता पर, को-प्रोपरेटिव पर निर्भर है । तो को-प्रोपरेटिव शन के वैल्यू को, महत्व को समझाने के लिये वर्कर्स को ट्रेण्ड करने के लिये जो ८ करोड़ रुपया रखा है वह बहुत कम है । जब यह को-प्रोपरेटिव बनेगा तब उसके लिये यह जरूरी हांगा कि इस विषय को लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिये पूरा पूरा प्रबन्ध वह करे । यदि हम सहकारी आन्दोलन को जन-प्रिय बनाने में कामयाब हांते हैं तो हम जल्दी

से जल्दी समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे और तभी हमारा जो प्लानिंग का टारगेट है उसको हम पूरा कर सकते हैं ।

यह जो बिल है डपकी धारा २ में बताया गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में क्या क्या होता है । उसमें वेजेटेबिल, शाक सब्जी, तरकारो, फ्रूट वगैरह नहीं है । मछली भी नहीं है जबकि मछली की भी एक तरह से खेती होती है । अभी जब देवकीनन्दन जो बोल रहे थे तो उन्होंने दूध की बात कही थी । वह शाकाहारी है और घासखार लोगो को मछली का नाम लेने में बुरा मालूम होता है लेकिन मैंने उनसे इसके बारे में कहा था । मछली का भी खेती होती है और इसलिये उसको भी इसमें रखना चाहिये । जो न टीकाइड कमांडिटीज हैं उनमें मछली, पोल्टरो और वेजेटेबिल शाक सब्जी, दूध और फल, को शामिल करना चाहिये ।

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० डी० मिश्र) : यह सब फूड स्टाफ में शामिल होगा ।

श्री शीलभद्र याजी : सब ठीक है लेकिन यह बुनियादी नहीं या कि नाटीकाइड कमांडिटीज में मछली भा, पोल्टरा भा, शाक सब्जा भी, फ्रूट भी और दूध भी शामिल है ।

अब, जो धारा ६ है उस में यह व्यवस्था की गई है कि सहकारी संस्थाओं की भांति हम किसानों को अच्छा बीज देंगे, अच्छे औजार देंगे, अच्छा खाद देंगे और उनके लिये सिंचाई वगैरह का प्रबन्ध करेंगे । यह सब करने को सख्त जरूरत है । लेकिन जब कार्पोरेशन बन जाय तो सरकार की ओर से पहला कदम यह उठना चाहिये कि जो इलाका या जो गांव कोआपरेशन के काम में सरनोभूत होने हैं उनको पुरस्कार मिलना चाहिये इसके लिये कोई व्यवस्था करे । अभी देवकीनन्दनजी ने बताया कि उनके जिले में केले के उत्पादन स लेकर बिक्री तक का काम और दूसरे काम

सहकारी संस्थायें कर रही हैं तो उनको पुरस्कार देना चाहिये । अगर हम और कामों के लिये पुरस्कार देते हैं, खेती के लिये देते हैं और उसको राष्ट्रपति देते हैं तो फिर उम्मी तरह से अगर कहीं सहकारी संस्थायें ज्यादा से ज्यादा कामयाब होती हैं, सफलीभूत होती हैं तो उनको भी पुरस्कार देना चाहिये । हम जानते हैं कि पंजाब में सहकारी खेती कई जगह हो रही है । जूगियाना गाडन कालोनी— जो कि हमारे जनरल मोहन सिंह की है— में एक एकड़ में डेढ़ सौ मन पैदा करते हैं । वहां जो जमीन जरखेज नहीं थी, रेत वाली थी उसी जमीन में कोआपरेटिव ढंग से खेती करके, अच्छे बीज दे कर के, अच्छे औजार से काम ले कर के और आधुनिक तरीकों से काम कर के और अच्छा खाद दे कर के, एक एकड़ में डेढ़ सौ मन पैदा करते हैं । तो ऐसे लोगों के लिये हमें प्रोत्साहन की व्यवस्था करनी चाहिये जैसे कि सारे हिन्दुस्तान के लिये कृषि विशारद की उपाधि है, उसी तरह की उपाधि से उन्हें विभूषित करना चाहिए ।

तो यह जो बिल है वह बहुत ही अच्छा बिल है और मैं समझता हूं कि चीरडिया जी ने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये जो मशविरा दिया है वह डिनेइंग टैक्टिक्स है । कुछ लोग इसमें देर करना चाहते हैं, उनका इरादा कुछ भी हो लेकिन वह इसमें डिले करना चाहते हैं लेकिन यह होने वाली चीज नहीं है । यह लोक सभा से पारित हो कर आया है और पहले ही इस में विलम्ब हो चुका है इसलिये इसको जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये । आप समझें कि देश में यदि उत्पादन नहीं बढ़ता है तो यह जो भूकडों की जमात है वह आप को भी खायेगी और हम को भी खायेगी । इसलिये जो जनता के नुमाइंदे हैं उनका यह फर्ज हो जाता है कि वे इस बिल का तहेदिल से समर्थन करें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन

[श्री शीलभद्र याजी]
करता हूँ और जो प्रवर समिति में इसको
भेजने की बात है उसका मैं विरोध करता हूँ।

हां, एक बात और है। एक साथी ने
कह दिया कि जितना काम होता है वह
दिल्ली से होता है। जब दिल्ली केन्द्र है,
मरकज है, तो यहां से नहीं होगा तो और कहां
से होगा? क्या हम स्युटनिक को ले कर
जायेंगे और वहां से करेंगे? या नागपुर जो
एक सेंट्रल प्लेस है वहां से सब होगा? यह
माना कि जितनी खेती होगी वह देहान में
होगी लेकिन जब फ़ौज का संचालन, सारे
देश का संचालन, दिल्ली से हो सकता है तो
फिर कोआपरेटिव का संचालन क्यों नहीं
हो सकता? हमारे कोआपरेटिव का सेंट्रल
ऑफिस दिल्ली में नहीं हो कर देहात में हो,
इसके कोई माने नहीं हैं और इस तरह की
दलील पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

Dr. A. SUBBA RAO (Kerala): Mr.
Vice-Chairman, the Deputy Minister
while moving the motion for consi-
deration of this Bill enthusiastically
enumerated the phenomenal progress
of the co-operative movement for the
past five years. Nobody would deny
that there had been some progress
in the co-operative movement since
independence, but keeping in view
our aim of achieving a socialist society
at the earliest and the main role that
the co-operative movement has to
play in establishing this society, are
we to be satisfied with the progress
that we have made during these
years? Is the progress commensurate
with the requirements? Have we
utilised every opportunity at our dis-
posal to spread this movement? Has
all the scope that is available for us
been exhausted? I am of opinion that
we have not. The co-operative move-
ment, in spite of its advance these
years, has been lagging far behind.

* SHRI S. D. MISRA: That is exactly
what I said.

DR. A. SUBBA RAO: But from
your enumeration of the successes
during the past five years and from
the picture you gave it appeared as
if you were patting yourself on your
back and said "Well, we have done
very well indeed." Now, taking the
qualitative improvement of the
co-operative movement during these
years, if you calculate it on a per-
centage basis, how have we improved
our position? Even in respect of the
number of agricultural credit socie-
ties, which are supposed to be the
mainstay for spreading the co-ope-
rative movement in the rural areas, as
the Minister has enumerated in his
statement, it is 2.13 lakhs and the
total membership 17.3 million in
1960-61. When compared to the posi-
tion ten years back, this can be inter-
preted as a phenomenal growth, a
hundred per cent. growth. But when
you take the total population in the
rural areas and compare the population
which has been covered by the co-ope-
rative movement all these years, you
will realise to what little extent you
have advance. The total population,
according to the latest census figure,
in the rural areas is about 360 million.
Taking the average family as consist-
ing of five members, if we calculate
the number of persons who have been
covered by the co-operative move-
ment, we will find that it comes to
about 87.5 million. That works out
to nearly 24.3 per cent., that is, out
of 100 persons, nearly 75 have been
left out of the purview of the co-ope-
rative movement, for the past fifteen
years. It may be argued that these
are not the only co-operative socie-
ties and there are other types of
co-operative societies also, and that
if all the membership of these socie-
ties is taken into consideration, we
have covered a greater percentage. I
concede that if you include all types
of societies and the number of mem-
bers covered by them, it comes to
nearly 30.3 million. The percentage
works out to 34.5. That means we
have got another 65 per cent. to be
covered. I do not think that this pic-
ture is a picture with which we can
be highly satisfied.

Now, Sir, what is the strata of the people that you have covered by these co-operative societies? Is it the strata which do not have their own internal resources and which require pooling of their resources and some amount of governmental help? Is it these strata which have been brought within this co-operative movement, or is it the strata which have got their own means, their own resources, resources by which they can improve the agricultural production? It is these strata which are slowly brought under these co-operative societies. From my experience of being in the co-operative movement, I feel that the upper and the richer peasantry is in a greater proportion than actually the weaker section of the rural population. It has been agreed to by Mr. Jayaprakash Narayan in his report on the weaker section of the society. There also it is stated that a large percentage of the weaker section of the society, which constitutes the greater part of the rural population, has not yet been covered by the co-operative movement. The very people, to whom the co-operative movement is necessary for bettering their lives, for increasing the agricultural production, have been left out of the co-operative movement. This has been admitted in the annual report for the year 1961-62, where on page 31 it is state:—

“There has also been a tendency in the past for the benefits of the co-operative movement to gravitate towards the bigger farmers. This has been sought to be corrected by amending the law suitably in order to provide rights of appeal against refusal to admit a person as a member of a co-operative”.

It is good that it is written in the book, but how far has this directive been implemented in the villages? How far have the co-operative societies brought it into force and how far have the weaker sections of the people been able to enter the co-operative movement? That is the ques-

tion. Now, when we take into account the qualitative improvement, compared to the growth of all societies, it is true that the credit societies have increased in number and in their membership as well.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Dr. Subba Rao, you have to stop here. We have to take up the other motion now. You may continue on the next day.

3 P. M.

MOTION RE FOURTH ANNUAL REPORT OF THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

श्री विमलकुमार महालालजी चौरङ्गिया (मध्य प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि :

“भारतीय जीवन बीमा निगम के ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त हुए वर्ष के लिए चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो २९ नवम्बर, १९६१ को राज्य सभा की मेज पर रखा गया था, विचार किया जाये।”

इसको रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने जीवन बीमा सम्बन्धी जो राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई और उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति में हम कहां तक सफल हुए, इस और हम थोड़ा सा विचार करें। हमारा लक्ष्य यह था कि यह जो व्यक्तिगत कम्पनियों में गड़बड़ चलती थी, उसकी आमदनी का लाभ कुछ ही लोगों तक सीमित था और क्लेम्स के भुगतान में जो कई तरह की गड़बड़ियां होती थीं, कर्मचारियों को ठीक तरह से वेतन नहीं मिलता था, इन सारी बुराइयों को मिटाने की दृष्टि से हमने एकमात्र यह तरीका उचित समझा कि हमारे यहां इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और उसके लिए एक निगम की स्थापना कर दी जाय। इसी आशय के आचार पर निगम की स्थापना की गई। दुर्भाग्यवश उसकी ठीक